

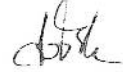
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक- एफ. 3 (ख)() अलेसी-11/

दिनांक- 11 जनवरी 2014

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या एफ-3(ख)() अलेसी-11/17455-59 दिनांक 24.10.2013 के द्वारा श्री चन्दनमल पालीवाल लेखाकार (मेरिट नम्बर 190/89 लिंक नम्बर 4343) वर्तमान में आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर को नगर निगम जयपुर का दिया गया अतिरिक्त कार्य तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है श्री पालीवाल का आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग जयपुर में किया गया है अतः श्री पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि वे पदस्थापन आदेश जारी होने तक/ आगामी आदेशों तक निदेशक पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशन में कार्य करेंगे।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक,

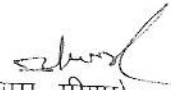
कोष एवं लेखा विभाग,

दिनांक- 11 जनवरी 2014

क्रमांक- एफ. 3 (ख)() अलेसी-11/18517-20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम जयपुर
3. उपनिदेशक (एसपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. व्यक्तिगत पंजिका।
6. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग